

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

पीठासीन अधिकारी:- श्री श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:- 1/714/2015 दायर दिनांक:- 19/11/2015

जीसीएमएस नं०:-2015/00200 निर्णय दिनांक:- 10/11/2025

वउनवान

1. भौती पत्नि रतनलाल जाति मीना निवासी गुण्डवास तहसील कठूमर जिला अलवर।

....वादी

बनाम

1. बबलू पुत्र हरेत जाति मीना निवासी गुण्डवास
2. समयसिंह पुत्र काडू जाति मीना निवासी गुण्डवास
3. ज्ञानसिंह पुत्र काडू जाति मीना निवासी गुण्डवास
4. दिनेश पुत्र मिश्र जाति मीना निवासी गुण्डवास
5. कैलाश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी गुण्डवास
6. तहसीलदार साहब तहसील कठूमर।

--- तरतीवी प्रतिवादीगण

दावा हुकमइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955-

उपस्थिति:-श्री महेन्द्रसिंह कुपासिया - अधिवक्ता वादी

-:निर्णय:-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र हुकमइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 511 रकबा 0.01 हैक्ट0,ग्राम गुण्डवास तहसील कठूमर में स्थित है। यह है कि उक्त विवादित आराजी वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त की खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर) रा

आराजी है। जिस पर वादीगण एवं तरतीवी प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से पर काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त आराजी से असल प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। असल प्रतिवादीगण सरजोर, बानेबन्द व मुठर्मद किस्म के व्यक्ति है, जो वादीगण व तरतीवी प्रतिवादीगण की आराजी में मदाखलन मजाहमत पैदा करते रहते हैं। आराजी की डौल को जोत कर बेदखल करने पर व कब्जा करने पर आमदा है जोतने बाने व काटने समेटने में बाधा उत्पन्न करते हैं। यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो गये तो वादीगण तबाह एवं बर्बाद हो जावेगा। इस वजह से प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना जरूरी है। अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 बावजूद रजिस्टर्ड सूचना के उपस्थित नहीं आये। इनके विरुद्ध दिनांक 07.06.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रदर्श-1 की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी पी डब्ल्यू 1 भौती एवं पी डबलू 2 लीला के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किया है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया व दावा को डिक्री कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। प्रदर्श-1 जमाबन्दी हाल के अवलोकन से यह साबित है कि आराजी खसरा नम्बर 511 रकबा 0.01 हैक्ट0,ग्राम गुण्डवास तहसील कठूमर में जो आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड

**उपखण्ड अधिकारी**  
कठूमर (अलवर) राज

आराजी है। पत्रावली के तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड एवं वादी के शपथ पत्र के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस पर मनन करने पर यह पाया गया है, कि प्रतिवादीगण द्वारा विवादित आराजी से किसी प्रकार का सरोकार व संबंध नहीं है ना ही प्रतिवादीगण सहखातेदार है। जिससे वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराये जाने का अधिकारी पाये जाते है। विवादित आराजी वादी की खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि में बाधा पैदा करने का अधिकार नहीं है। अतः वाद वादी साबित होने से डिक्री योग्य पाया जाता हे।

### —:आदेश:—

अतः दावा वादीगण हुक्मइन्तनाई दवामी साबित होने से डिक्री किया जाकर असल प्रतिवादीगण को विवादीत आराजी खसरा नम्बर 511 रकबा 0.01 हैक्ट0,ग्राम गुण्डवास तहसील कठूमर में वादी को किसी प्रकार की काश्त संबंधी कार्य करने में बाधा उत्पन्न ना करें व रूकाबट व मजाहमत पैदा ना करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

शयामसुन्दर चेतीवली(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)  
कठूमर (अलवर)

पर्चा डिकी  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )

पीठासीन अधिकारी:- श्री श्यामसुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्या:- 1/714/2015      दायर दिनांक:- 19/11/2015  
जीसीएमएस नं0:-2015/00200      निर्णय दिनांक:- 10/11/2025

वउनवान

1. भौती पत्नि रतनलाल जाति मीना निवासी गुण्डवास तहसील कठूमर जिला अलवर।

....डिकीदारान्

बनाम

1. बबलू पुत्र हरेत जाति मीना निवासी गुण्डवास
2. समयसिंह पुत्र काडू जाति मीना निवासी गुण्डवास
3. ज्ञानसिंह पुत्र काडू जाति मीना निवासी गुण्डवास
4. दिनेश पुत्र मिश्र जाति मीना निवासी गुण्डवास
5. कैलाश पुत्र रामधन जाति मीना निवासी गुण्डवास
6. तहसीलदार साहब तहसील कठूमर।


— मद्यूनान

दावा हुकमइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा-188 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम, 1955-

अतः दावा वादीगण हुकमइन्तनाई दवामी साबित होने से डिकी किया जाकर असल प्रतिवादीगण को विवादीत आराजी 511 खसरा नम्बर 0.10 हैक्ट0 तहसील कठूमर में वादी को किसी प्रकार की काश्त संबधी कार्य करने में बाधा उत्पन्न ना करें व रुकाबट व मजाहमत पैदा ना करे।

निर्णय दिनांक 10.11.2025 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

  
श्यामसुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी कठूमर ( अलवर )